अनियमितता पाए जाने पर आठ प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना

निरीक्षण के दौरान कहीं कांटा अप्रमाणित मिला तो कहीं फूड पैकेजिंग लाइसेंस नहीं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

अजमेर. रक्षाबंधन व जन्माष्टमी त्योहार पर चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में रविवार को रसद विभाग की टीम ने मिठाई विक्रेताओं के यहां जांच की। विभागीय टीम को दस प्रतिष्ठानों की जाँच में 8 पर खामियां मिलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक माप विज्ञान(डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 में कार्रवाई की गई। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) हेमन्त आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 18 से 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर जिला मुख्यालय के लिए गठित संयुक्त जांच दल में शामिल एलएमओ भावना दयाल, प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन व प्रवर्तन निरीक्षक खान मोहम्मद खान ने रविवार को शहर के द प्रतिष्ठानों की जांच की। इसमें के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अजमेर. वैशालीनगर में कार्रवाई करती रसद विभाग की टीम।

इन जगहों पर कार्रवाई

- वैशालीनगर स्थित डेयरी पर इलेक्ट्रोनिक कांटा प्रमाणित नहीं मिलने पर 500 रुपए जुर्माना।
- दो स्वीट्स शॉप पर अप्रमाणित कांटा मिलने पर 2500 रुपए का जुर्माना।
- एक बेकर्स शॉप पर कांटा का प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं होने पर 500 रुपए जुर्माना।
- फूड प्रोडक्ट्स की शॉप पर कांटे का प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं करने व पैकेजिंग लाइसेंस नहीं मिलने पर 5500 रुपए का जुर्माना।
- वैशालीनगर के एक मिष्ठान भंडार व नमकीन भण्डार पर कांटा प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं मिलने पर 500 रुपए जुर्माना।
- एक स्वीट्स शॉप पर कांटा असत्यापित, पैकेजिंग लाइसेंस नहीं होने पर 12 हजार 500 रुपए का जुर्माना।

ा शुभकामनाएं

राखी के साथ जन्माष्टमी नजदीक आने पर बढ़ी सक्रियता

मिठाइयों के लिए नमूने, कंज्यूमर केयर अभियान भी

एक मिष्ठान भंडार में सैंपल लेते खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर।

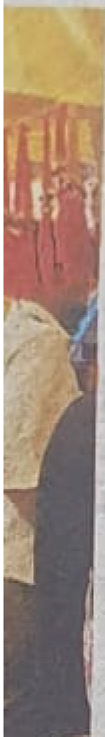

बांसवाड़ा@ पत्रिका. जिले के पालोदा क्षेत्र में खराब मिठाइयां बिकने पर सक्रिय चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग के दल ने रक्षा बंधन के एक दिन पहले रविवार को शहर के मिष्ठान्न भंडारों की टोह ली, तो कंज्यूमर केयर अभियान भी शहर में शुरू हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल खडिया के नेतृत्व में दल ने दाहोद रोड, पुराना बस स्टैंड और कस्टम चौराहे के करीब तीन मिठाइयों की दुकानों से रबड़ी, काजू कतली और मावे के पेड़े के सेंपल लिए। इसके अलावा एक सूखे मेवे की दुकान से काजू के सेंपल लिए गए। खडिया ने बताया कि इससे पहले पालोदा से आई शिकायत पर संबंधित दुकान का मुआयना कर लस्सी और मोतीचूर के लड्डू के सैंपल लिए गए। दुकानदार को नोटिस देकर साफ सफाई रखने और शुद्ध सामग्री ही बेचने के लिए पाबंद किया गया। अब सैंपल की जांच के लैब से नतीजे मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों की अवहेलना पर कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निरीक्षक रसद धर्मेन्द्र कुमार रोत, विनोदकुमार पाटीदार एवं विधिक माप अधिकारी मनाली भट्ट का संयुक्त दल भी दुकानों पर जांच में जुटा। जिले में 31 अगस्त तक कंज्यूमर केयर अभियान चलेगा। जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि गठित दल नियमित निरीक्षणों के साथ राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण यथासंभव तीन घंटे की अवधि में करेगा।

मिठाई के साथ दुकानदार डिब्बा तोले तो करें लिखित शिकायत

बांसवाड़ा @ पत्रिका. रक्षाबंधन से 24 घंटे पहले सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर मिठाई के तौल में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। आदेश में कहा कि यदि कोई दुकानदार मिठाई, नमकीन, मेवा अन्य किसी खाद्य वस्तु के साथ डिब्बे का भी वजन तौलता है तो हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है। जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि टीम बनाई गई है, जो दुकानों पर जांच करेगी। साथ ही मिलने वाली शिकायत पर भी कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय पोर्टल पर तथा 7230086030 पर वॉट्सएप करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जांच के लिए गठित टीम में प्रवर्तन निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार रोत, विनोद कुमार पाटीदार के साथ ही विधिक माप अधिकारी मनाली भट्ट को शामिल किया है।

सुखवाल स्वीट्स के संचालक ने 3 साल से नहीं कराया इलेक्ट्रॉनिक कांटे का सत्यापन, जब्त

जिला रसद अधिकारी व बाट माप अधिकारी के निरीक्षण में मिली अनियमितता

भास्कर न्यूज | भीलवाड़ा

हरिशेवा धाम के पास स्थित सुखवाल स्वीट्स पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे (वजन मशीन) में अनियमितता मिली है। जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र मिश्रा व बाट माप अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर्व पर कंज्यूमर केयर अभियान के तहत सुखवाल स्वीट्स, जोधपुर स्वीट्स, शगुन स्वीट्स व महालक्ष्मी बैकर्स का निरीक्षण किया। डीएसओ मिश्रा ने बताया कि सुखवाल स्वीट्स के संचालक ने गत तीन साल से वजन मशीन का सत्यापन ही नहीं कराया। जबकि, प्रत्येक दुकानदार को हर साल इलेक्ट्रॉनिक कांटे का सत्यापन कराना जरूरी होता है।

जिला रसद अधिकारी व बाट माप अधिकारी निरीक्षण करते हुए।

सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में ग्राहकों को दी जा रही वस्तु के वजन में कमी रहती है। यह ठगी की श्रेणी में आता है। सुखवाल स्वीट्स पर कार्यवाही के दौरान सत्यापन नहीं होने से इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया। संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। डीएसओ ने विधिक माप विज्ञान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त को निरीक्षण रिपोर्ट भेज दी।

प्रमाण पत्र सहज प्रदर्शित नहीं मिलने पर प्रकरण दर्ज... महावीर पार्क के पास जोधपुर स्वीट्स व शगुन स्वीट्स एवं रेलवे स्टेशन चौराहा पर महालक्ष्मी बेकर्स पर कार्यवाही के दौरान फर्म का इलेक्ट्रॉनिक कांटा प्रमाणपत्र सहज स्थान पर प्रदर्शित नहीं होने से मामला दर्ज किया। विधि माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों की पालना के निर्देश दिए।

शहीद सैनिकों के घर जाकर वीरांगनाओं

24 हजार लीटर गंगाजल से भगवान

दैनिक भास्कर

चित्तौड़गढ़ भास्कर 19-08-2024

त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने में गड़बड़ी हुई तो होगी कार्रवाई

कंज्यूमर केयर अभियान: प्रमाणित नहीं पाए जाने पर तीन दुकानों पर काटे चालान

भास्कर न्यूज़ | चित्तौड़गढ़

राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने और माप तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया है। रविवार को रसद विभाग ने शहर में कार्रवाई शुरू करते हुए तीन मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। जिसमें तीन दुकानों में गड़बड़ी मिलने पर चालान काटे गए।

रसद विभाग उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ने कार्रवाई करते हुए तीन मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण किया। लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, (चित्तौड़गढ़ और राजसमंद) भगवतीलाल पालीवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया है। इसमें त्योहारों पर बनाए जाने वाली मिठाई के साथ डिब्बे तोड़ने और माफ टोल में गड़बड़ी को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। रविवार को तीन दुकानों विनायक रेस्टोरेंट, अंबिका जोधपुर मिष्ठान भंडार और सांवरिया मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण किया था। तीनों रेस्टोरेंट में मिठाई कम तोड़ने और काटा प्रमाणित नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की गई। तीनों दुकानों के खिलाफ चालान काटे गए। विनायक रेस्टोरेंट के खिलाफ 500 रुपए, अंबिका जोधपुर मिष्ठान भंडार के खिलाफ 1500 रुपए और सांवरिया मिष्ठान भंडार के खिलाफ 2000 रुपए का चालान काटा गया। हर उपभोक्ता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए की मिठाई लेते समय डिब्बे का लगभग 80 ग्राम सहित वजन का तौल नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई भी उपभोक्ता एक किलो मिठाई लेता है तो डिब्बे के साथ एक किलो 80 ग्राम मिठाई का तौल होना चाहिए।

चित्तौड़गढ़ अधिकारियों की टीम एक दुकान पर जांच करते हुए

नापतौल में कर रहे गड़बड़ी

जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि सोमवार को रक्षाबंधन और उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। इन दिनों में मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है। मिठाई लेते समय दुकानदार नाप तौल में गड़बड़ी करते हैं, जिसका ग्राहकों को जानकारी नहीं होती। इसके अलावा दो दुकानदारों के कांटे भी प्रमाणित नहीं थे, जिसके कारण कार्रवाई की गई।

डिब्बा तौलने पर होगी कार्रवाई

दूदू. रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने पर अंकुश लगाने के लिए दूदू जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला रसद अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग निदेशक एवं जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशानुसार 27 अगस्त तक विशेष अभियान के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला रसद अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी दुकान पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तौल कर दिया जाता है तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं व्हाट्सअप नंबर 7230086030 पर दर्ज करवा सकते हैं।

मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने पर होगी कार्रवाई

दूदू | रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खाद्य विभाग विशेष अभियान शुरू करेगा। डीएसओ सौरभ जैन ने बताया की दूदू जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ता मामले विभाग निदेशक एवं जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलते पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक का जांच दल गठित करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने पर होगी कार्रवाई

रघुवंशी रक्षक पत्रिका

दूदू। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए दूदू जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला रसद अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग निदेशक एवं जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशानुसार 27 अगस्त तक विशेष अभियान के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक का जांच दल गठित करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील है कि किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तौल कर दिया जाता है, तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं व्हाट्सअप नंबर 7230086030 तथा ई-मेलआई. stateconsumerhelpline.raj@gmail. com पर भी दर्ज करवा सकते है। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देशित किया गया है कि सही तौल के साथ मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद वस्तुओं के साथ यदि डिब्बा तौलते हुए पाया गया तो उनके विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक मानविज्ञान, डिब्बा बंद वस्तुएं, नियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

10:44 4G 100
Khairt Ringer 24

राजस्थान पत्रिका
प्रकाशित खबर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंडावर क्षेत्र के जाट भगोला से शीलगाव की ओर जा रहे जर्जर सड़क मार्ग पर रविवार को पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी से गड्ढों को समतल करना शुरू कर दिया। जिससे कि आवाजाही में किसी वाहन अथवा पैदल यात्री को तकलीफ नहीं झेलनी पड़े। राजस्थान पत्रिका ने रविवार के अंक में "ऐसा सड़क मार्ग जिस पर इमरजेंसी में एंबुलेंस भी आने को तैयार नहीं हो। शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी को यह सड़क मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन का निर्देश पर रविवार को ही पीडब्ल्यूडी ने सड़क मार्ग को जेसीबी की सहायता से समतल करना शुरू कर दिया। जिससे कि किसी वाहन को आवाजाही में परेशानी ना हो। बता दे की जाट भगोला से शीलगाव होते हुए हरियाणा बावल की ओर जाने वाला यह सड़क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका था। जिससे इमरजेंसी में एंबुलेंस भी आने को तैयार नहीं है।

मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने पर होगी कार्रवाई

खैरथल @ पत्रिका. त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खैरथल-तिजारा जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग निदेशक एवं जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार 27 अगस्त तक विशेष अभियान के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि खैरथल-तिजारा जिले में कार्यरत जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं संबंधित समस्त नायब तहसीलदार कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक का जांच दल गठित करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील है कि किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तौल कर दिया जाता है, तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं वाट्सअप नंबर 7230086030 पर ई-मेल आई पर भी दर्ज करा सकते हैं।

कादैया से बासनी जाने का बदहाल रास्ता, प्रशासन को नहीं इससे कोई वास्ता

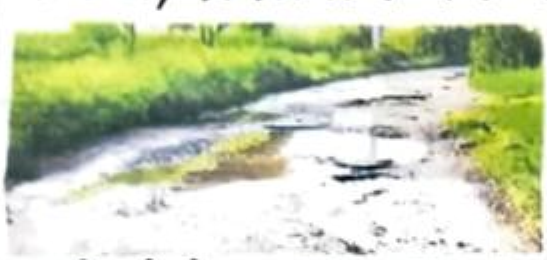

आए दिन हो रहे हादसे फिर भी नहीं दे रहे ध्यान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

हरसौली. कस्बे के समीपवर्ती गांव कादैया से बासनी जाने का बदहाल रास्ता हो रहा है। इस मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं लेकिन प्रशासन को इससे कोई वास्ता नहीं है। करें लेकिन हरसौली क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जो बेहद खस्ताहाल है। ये सड़कें शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। इन सड़कों के मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग कोई ठोस कदम तक नहीं उठा रहा है। कादैया से बासनी सड़क मार्ग पर गड्ढों से इस सड़क की हालत और भी ज्यादा दयनीय होती जा रही है। आश्चर्यजनक बात तो यह कि जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, उनकी

शाहबाद. कस्बे के समीपवर्ती गांव असलीमपुर व मढ़ा माजरा में मुख्य रास्ते पर जलभराव से आमजन व राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन रास्ते पर जलभराव से महिलाओं व बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए समस्या समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने सम्बंधित विभाग से समस्या के समाधान की मांग की है।

फेंकते हुए भागे थे। अब पेहल मोड़ पर रविवार तड़के करीब 3.45 बजे पीछा करते गौरक्षकों पर पशु फेंकते हुए भाग निकले। अहम बात ये कि इससे पहले गोतस्करों ने नाकाबंदी को तोड़ दिया। गौरक्षक मामले को लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। गौरक्षकों का आरोप है कि पुलिस थाने में उनसे बदसलूकी भी की गई। घटना के दौरान पीछा करने वाले गौसेवक राकेश शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 3.45 बजे खैरथल-पेहल मोड़ पर एक पिकअप में गोतस्कर पशुओं को ले जाते दिखे। उन्होंने मोड़ पर लगे नाके के होमगार्डों की मदद से उन्हें रोकने का प्रयास किया तो तेज रफ्तार में नाकाबन्दी तोड़ तस्कर हरसौली की तरफ भाग गए। इधर, होमगार्ड पास में दीवार फांदकर बचने के लिए छिप गए। ये नहीं रुके तो हरसौली व पाटन अहीर के बीच एक-एक करके 4 गौवंश चलती गाड़ी से फेंकते गए। शर्मा का कहना है कि गौरक्षकों ने अनेक बार किशनगढ़बास डीएसपी व खैरथल थानाधिकारी को कॉल किया। मदद नहीं मिली तो उन्होंने गोवंश को लोगों से उठवाया।

गौरक्षकों ने बताया कि रविवार शाम को खैरथल थाने में सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचे तो हैड कांस्टेबल रमेशचंद व एक कांस्टेबल वीरेन्द्र ने बदसलूकी कर उन्हें भगा दिया। जिसके बाद वे थानाधिकारी दिनेश कुमार से मिले और घटनाक्रम बताया। थानाधिकारी सिर्फ उनकी बात सुनते रहे। कोई मामला दर्ज नहीं किया। शर्मा ने बताया कि इसके चलते सोमवार को केस दर्ज कराएंगे।

पिकअप से फैंके गए गोवंश को रस्सियों से मुक्त करते गौसेवक।

बीफ मंडी पकड़ी थी, गोतस्करी नहीं थम रही

मेवात से सटे खैरथल-तिजारा जिले में कुछ माह पहले बड़े पैमाने पर गोकशी की घटनाएं और किशनगढ़बास में बीफ मंडी तक पकड़ी गई। तब कांग्रेस सरकार थी तो भाजपा नेताओं ने बड़े-बड़े वादे किए। गोकशी पर आंदोलन की बात कही। मगर अब हाल ये है कि केस तक दर्ज नहीं कर गोतस्करी और गोकशी को छिपाया जा रहा है। हाल ये है कि रोजाना वारदातें हो रही हैं। सीसीटीवी में तस्कर दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 2 माह में गौतस्करी के सिर्फ 5 मामले दर्ज किए हैं। करीब 40 लोगों तो राकेश शर्मा केस दर्ज करा चुके हैं।

■ नए कानून के तहत गोतस्करी से संबंधित ऐसे प्रकरणों में 14 दिन तक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। खैरथल में गोवंश की तस्करी की घटनाओं की जांच की जा रही है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। -मनीष कुमार, एसपी खैरथल-तिजारा

भास्कर

खैरथल-तिजारा जिला प्रशासन ने जारी किए ई-मेल व वाट्सएप नंबर

मिठाई के साथ डिब्बा तोलने के खिलाफ अभियान 27 तक, शिकायत दर्ज करा सकते हैं ग्राहक

भास्कर न्यूज | खैरथल

रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि जिले में कार्यरत जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं संबंधित समस्त नायब तहसीलदार कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक का जांच दल गठित करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील है कि किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तौल कर दिया जाता है तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं वाट्सएप नंबर 7230086030 तथा ई-मेलआई.stateconsumerhelpline.raj@gmail. com पर भी दर्ज करवा सकते है। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देशित किया गया है कि सही तौल के साथ मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद वस्तुओं के साथ यदि डिब्बा तौलते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक मापविज्ञान, डिब्बा बंद वस्तुएं, नियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी।

बेखौफ होकर बेच रहे मिलावटी मिठाईयां

खाली डब्बे का वजन तोलते।

जिला प्रशासन की ओर से मिलावटी मिठाई बेचने व डिब्बे तोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की हकीकत यह है कि दुकानदार बेखौफ होकर मिलावटी मिठाई बेच रहे हैं। मिठाई के साथ डिब्बा भी तोल रहे हैं जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी केवल दुकानों पर जाकर निरीक्षण कर औपचारिकता निभा रहे हैं। भास्कर रिपोर्टर ने रविवार को कई दुकानों पर जाकर देखा तो डिब्बे मिठाई के साथ तोले जा रहे हैं जिसमें खाली डिब्बे का वजन 170 से लेकर 200 ग्राम तक है। जबकि दुकानदारों की ओर से मिठाई तोलते हुए डिब्बे के वजन का 50 से 80 ग्राम तक अधिक वजन देते हैं। इस हिसाब से 1 किलो मिठाई के डब्बे में 100 ग्राम कम मिठाई दी जा रही है। मामले में जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने कहा कि खैरथल सहित आसपास के क्षेत्र में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने की शिकायत मिली है।

दैनिक भास्कर

खैरथल/भिवाड़ी भास्कर 19-08-2024

जौडिया पीएचसी में एक वर्ष से डॉक्टर व स्टॉफ के पद खाली, प्रदर्शन किया

दैनिक भास्कर
पाली भास्कर 19-08-2024

कंज्यूमर केयर विशेष अभियान के तहत चार प्रतिष्ठानों की जांच की

भास्कर संवाददाता | पाली

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तोलने पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिले में 18 से 31 अगस्त तक विशेष अभियान 'कंज्यूमर केयर अभियान' प्रारंभ किया गया है।

अभियान के तहत प्रवर्तन निरीक्षक कृष्णा कंवर भाटी, जितेन्द्र सिंह आशिया और निरीक्षक विधिक माप विज्ञान विष्णुदत्त जोशी की ओर से संयुक्त रूप से जिले में रविवार को 4 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। मौके पर संयुक्त जांच दल द्वारा डिब्बे सहित व बिना डिब्बे के सामग्री का वजन करने पर वजन संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इस दौरान जिन प्रतिष्ठानों में सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं पाए गए, उन्हें नियमानुसार डिस्प्ले लगाने के लिए पाबंद किया गया। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 व विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील है कि यदि किसी दुकानदार

दैनिक भास्कर प्रतापगढ़ 19-08-2024

मिठाई कम तौलने, असत्यापित कांटा रखने पर दो दुकानदारों पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाया

जिले में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर मिठाई, सूखे मेवे और बेकरी उत्पादों की दुकानों पर मिलावट करने व डिब्बे के साथ तौल करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग ने नंबर और मेल आईडी जारी की है। टोल फ्री नंबर 18001806030, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 या ई-मेल आईडी stateconsumerhelplin e.raj @ gmail. com पर शिकायत दर्ज कराने पर कार्रवाई की जाएगी। रविवार को जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा व विधिक माप विज्ञान अधिकारी निशा मीना ने सात फर्मों पर जांच की। इस दौरान दो मिष्ठान दुकानों पर कांटा असत्यापित मिला, जिस पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन में 18 से 31 अगस्त तक जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोगों द्वारा दर्ज की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्पादों के वजन में खाली डिब्बे का वजन तौलने तथा कम तौलने की ग़लत प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग सचिव भास्कर ए सावंत के निर्देशानुसार राज्यभर में कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को जांच की। जांच के दौरान छगन मिष्ठान भंडार पर कांटा असत्यापित मिला, जिस पर 3 हजार रुपए जुर्माना व पालीवाल स्वीट्स पर कम तौल करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया।

शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर, फोन नम्बर, ई-मेल आदि की जारी

रसद विभाग: डिब्बे को तोल में शामिल करने वालों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई

राजसमंद. जिला मुख्यालय स्थित एक मॉल में निरीक्षण करते जिला रसद अधिकारी एवं अन्य।

रसद विभाग का विशेष अभियान 27 अगस्त तक रहेगा जारी

राजसमंद. रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तोलने वालों की खैर नहीं है। रसद विभाग ने ऐसे दुकानदारों की शिकायत के लिए टोलफ्री नम्बर, वाट्सअप नम्बर, ईमेल और फोन नम्बर जारी किए हैं। जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

जिला रसद अधिकारी रणजीतसिंह सिसोदिया ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग निदेशक एवं जिला कलक्टर के निर्देशानुसार विशेष अभियान के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में कार्यरत जिला विधिक मापविज्ञान अधिकारी एवं संबंधित समस्त प्रवर्तन निरीक्षक का जांच दल गठित करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तौलने पर उसकी शिकायत 18001806030, व्हाट्सअप नंबर 7230086030 तथा ई-मेल आई पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डिब्बा तोलने वालों के विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक मानविज्ञान, डिब्बा बंद वस्तुएं, नियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

दुकानों एवं मॉल का निरीक्षण, कमियां मिली तो लगाई शास्ति

रसद विभाग की ओर से रविवार को जिला मुख्यालय स्थित दुकानों एवं मॉल आदि का निरीक्षण किया गया। जिला रसद अधिकारी रणजीत सिंह सिसोदिया एवं जिला विधिक मापविज्ञान अधिकारी भूपराज जाटव की संयुक्त कार्यवाही में टीवीएस चौराहा के निकट मॉल, मुखर्जी चौराहा के निकट मिठाई की दुकान, पालीवाल मार्केट के निकट मिठाई की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को डिब्बे का वजन पृथक तौलने एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटे का सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सामान्य अनियमितताओं के विरुद्ध नियमानुसार मौके पर शास्ति आरोपित की गई।

बाबूजी धीरे चलना... हादसे का सबब बन रहा

जमा करने की प्रक्रिया शुरू

राजसमंद | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हज कमिटी ऑफ़ इंडिया बैतुल हुज्जाज द्वारा हज 2025 के लिए ऑनलाइन हज आवेदन पत्र जमा करने की घोषणा की गई है। हज कमेटी ऑफ़ इंडिया द्वारा हज 2025 के लिए ऑनलाइन हज आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 9 सितम्बर है। हज आवेदन पत्र हज कमेटी ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं या आई फ़ोन द्वारा या एंड्राइड मोबाइल ऐप ''हज सुविधा'' द्वारा भरे और जमा किए जा सकते हैं।

त्योहारों को देखते हुए 10 दिवसीय उपभोक्ता सुरक्षा अभियान शुरू

राजसमंद| राखी और जन्माष्टमी त्योहार सीजन को देखते हुए खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने रविवार से मिठाई के साथ डिब्बा तौलने, वजन में गड़बड़ी जैसी उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए 10 दिवसीय उपभोक्ता सुरक्षा अभियान शुरू किया। इस अभियान में जिला रसद अधिकारी रणजीत सिंह सिसोदिया व जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी भूपराज जाटव की संयुक्त कार्रवाई के दौरान रिलांयस रिलेट लिमिटेड टीवीएस चौराहा, वेन्यू सुपर मार्केट डी-मार्ट कांकरोली, श्री बजरंग मिष्ठान भंडार मुखर्जी चौराहा, आदेश बीकानेर मिष्ठान्न भण्डार पालीवाल मार्केट आदि का निरीक्षण किया।

कटाक्ष

CM सिद्धारमैया के खिलाफ
केस चलाने की मंजूरी

कंज्यूमर केयर अभियान का आगाज

कम वजन तौलने पर बींझबायला में तीन फर्मों पर दी दबिश

श्रीगंगानगर. खाद्य सामग्री को डिब्बे के साथ तौलकर उपभोक्ताओं को चपत लगाने वाले दुकानदारों के यहां अब कंज्यूमर केयर अभियान का आगाज किया गया है। रविवार को बींझबायला में जिला रसद विभाग और विधिक माप विज्ञान अधिकारी की संयुक्त कार्रवाई से शुरूआत की गई।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर्व पर मिठाई, सूखे मेवे व बेकरी उत्पादों के वजन में ख़ाली डिब्बे का वजन तौलने तथा कम तौलने की ग़लत प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव भास्कर सावंत के निर्देशन में राज्यभर में कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व इसके तहत बनाए गए नियमों और डिब्बाबंद वस्तुएं नियम 2011 की पालना व प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा रहा है।

अभियान के तहत श्रीगंगानगर ज़िला रसद अधिकारी कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी संदीप गौड़, प्रवर्तन निरीक्षक धर्मपाल व विधिक माप विज्ञान अधिकारी अमित चौधरी की संयुक्त जांच दल की ओर से बींझबायला में तीन फ़र्मों पर जांच की गई। जांच के दौरान पवन ड्राई फ्रूट्स हाउस व वीर बग्गा जी फर्मों पर कांटे असत्यापित पाए गए। इस पर नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्ड राशि राजकोष में जमा करवाई गई। अभियान दौरान इन नियमों के तहत उल्लंघन करने वाली फ़र्मों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

वजन कम तोलें तो यहां करें शिकायत

रक्षाबन्धन एवं जन्माष्टमी के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने की प्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने को ध्यान में रखते राज्य के उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश किए हैं। यह अभियान 17 से 27 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए जिला कलक्टर, रसद विभाग और विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता अपनी शिकायतें राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर 18001806030 या व्हाट्स एप्प नम्बर 7230086030 या ई-मेल आई.डी. state consumerhelpline. raj@gmail. com पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

बाईपास की डीपीआर के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी

31 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान

सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने पर होगी कार्रवाई

टोंक@ पत्रिका. रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलने पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला रसद अधिकारी इन्दरपाल मीना ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग निदेशक एवं जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा के निर्देशानुसार 31 अगस्त तक निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तोलते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिले में कार्यरत जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं संबंधित समस्त नायब तहसीलदार कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक का जांच दल गठित करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी मीना ने उपभोक्ताओं से अपील है कि किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तौल कर दिया जाता है तो उसकी शिकायत प्रवर्तन अधिकारी रामभजन मीना (9694450658), प्रवर्तन निरीक्षक सूरजभन सिंह (8239998921) व विधि माप विज्ञान अधिकारी अशोक मित्तल (8239998921) को उनके मोबाइल नम्बर पर शिकायत कर सकते है। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देशित किया गया है कि सही तौल के साथ मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद वस्तुओं के साथ यदि डिब्बा तौलते हुए पाया गया तो उनके विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक मानविज्ञान, डिब्बा बंद वस्तुएं, नियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शर्तों के साथ जारी हुए आदेश

प्रदेश के स्कूलों में अब